न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. देवकरण जाट पुत्र गोपीराम जाति जाट, निवासी पीह परबतसर
2. कुलदीपसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी कुलियाना, परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. कमला पत्नी छोटूराम, जाति जाट, निवासी पीह तहसील परबतसर
2. कमला देवी पत्नी मदनलाल, जाति माली, निवासी पीह, तहसील परबतसर
3. कैलाश जाट पुत्र छोटूराम, जाति जाट, निवासी पीह तहसील परबतसर
4. गोरधनराम पुत्र गिरधारीराम, जाति जाट, निवासी पीह, तहसील परबतसर
5. धापूदेवी पत्नी लक्ष्मणराम, जाति माली, निवासी पीह तहसील परबतसर
6. नरसीराम पुत्र छोटूराम, जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
7. पनाराम पुत्र छोटूराम जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
8. प्रभूराम पुत्र छोटूराम जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
9. मुख्तियारखां पुत्र गफूरखां, जाति देशवाली, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
10. मोहनराम पुत्र गिरधारी जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
11. संगराम पुत्र गफूरखां, जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
12. सुबराती पुत्र गफूरखां जाति देशवाली, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
13. सवाईखां पुत्र गफूरखां, जाति देशवाली, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
14. सुवाराम पुत्र छोटूराम, जाति जाट, निवासी पीह, तहसरील परबतसर
    - 14/1 सन्जूदेवी पत्नी सुवाराम
    - 14/2 राहुल पुत्र सुवाराम
    - 14/3 प्रियंका पुत्री सुवाराम
15. औमाराम कस्वा पुत्र पोकरराम जाति जाट, निवासी सनेडिया, तहसरील डेगाना
16. मैनादेवी पत्नी नथमल जाति ब्राहम्ण, निवासी पीह, तहसील परबतसर
17. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री श्यामनिरजंन बोहरा अधिवक्ता वादी,
श्री तिलोक नाथ, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 16
श्री देवेन्द्र मालाकार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 15
श्री महेन्द्र नाथ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9

मुकदमा नम्बर :– 2024/275 निर्णय दिनांक :– 29.01.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर के खसरा नम्बर 250 रकबा 2.5900 हैक्टर व खसरा नम्बर 267 रकबा 2.8800 हैक्टर भूमी आई हुई है। विवादित आराजीयान की भूमि खसरा नम्बर 250 में वादीगण का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज है जबकी वादीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर

267 में आया हुआ है खसरा नम्बर 250 में वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजीयान की भूमि का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा हो रखा है विवादित आराजीयान की भूमि पर बंटवारा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का अपने–अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजीयान की भूमि के खसरा नम्बर 250 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 267 वादी संख्या 01 का नाम दर्ज है तथा वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है जबकी वादीगण का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 267 मे चला आ रहा है। खसरा नम्बर 250 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का केवल मात्र नाम दर्ज है जबकी कब्जा काश्त खसरा नम्बर 267 में आया हुआ है। वादीगण ने जब प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् से बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के आधार पर विवादित भूमि को आगे बेचान करने की एलानिया धमकियां दी , जिससे वादीगण मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर विवादित आराजीयान की भूमि का बंटवारा करावाने के अधिकारी है। विवादित आराजीयान की भूमि के खसरा नम्बर 250 के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम हटाया जाकर खसरा नम्बर 267 में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर वादीगण राजस्व रेकर्ड अलग से दर्ज करवाने व नक्शा ट्रेश में तरमीम करवाने की इस्तदुआ की है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के सम्मन विधिवत रूप से तामिल सुदा प्राप्त हुए बावजूद इसके अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मालाकार ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया, प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से अधिवक्ता श्री तिलोकनाथ ने इकबालिया जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया, जिसके अनुसार ग्राम पीह पटवार हल्का पीह तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 2.8800 हैक्टर भूमि आई हुई है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 16 का 809/28800 हिस्सा आया हुआ है। जिस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 16 का चला आ रहा है व इसी अनुसार बंटवारा करवाने का निवेदन किया। साथ ही वादीगण की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 16 को कोई उजर एतराज नहीं है। जिसके पश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई जिसमें वादी संख्या 2 कुलदीपसिंह पुत्र भंवरसिंह का शपथ–पत्र पेश किया। वादी व प्रतिवादीगण के वकील द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर बहस उभय पक्षो की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किये जाने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 16 के वकील ने काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है तो वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज माफिक मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर मंगवाया जाने हेतु निवेदन किया गया तो

वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव हेतु लिखा गया जिसके पश्चात तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ/2024/3070 दिनांक 31.12.2024 उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर उभय पक्षकारों ने सही होना स्वीकार किया तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र नाथ ने सहमति देते हुए बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायकि दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण व बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम पीह तहसील परबतसर के खसरा नम्बर 250 रकबा 2.5900 हैक्टर व खसरा नम्बर 267 रकबा 2.8800 हैक्टर भूमी का से तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर